अध्यक्ष महोदया की अनुमति से विचारणीय बिन्दु

प्रस्ताव सं0–1

प्रदेश में 03 राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु भूमि व्यवस्था एवं निर्माण के सम्बन्ध में मा0मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक–26.5.2020 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

शासन के पत्र संख्या–अर्द्ध शा0प0सं0–735/ सत्तर–1–2020, उत्तर प्रदेश शासन,उच्च शिक्षा अनुभाग–1, दिनांक–08.06.2020 के साथ संलग्न मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक–26.5.2020 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय तथा तद्क्रम में दिनांक–10.6.2020 को मा0 उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दिये गये निर्देशानुसार विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ हेतु रू0 50. 00करोड़ की धनराशि हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में निम्न तथ्य समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है:–

1. विश्वविद्यालय के पेंशन **Corpus Fund** में 128 करोड़ रूपये, परिसर विकास निर्माण कार्य हेतु रू0 145.78 करोड़ रूपये तथा विश्वविद्यालय के मुख्य खाता में 70.89 करोड़ रूपये की सावधि जमा उपलब्ध है।
2. पेंशन फण्ड में जमा धनराशि के सापेक्ष प्राप्त ब्याज से कर्मचारियों/शिक्षकों के पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। आगामी वर्षों में सेवानिवृत्ति में बढोत्तरी तथा ब्याज दरों में निरन्तर कमी के फलस्वरूप यह **Corpus Fund** भी अपर्याप्त रहेगा तथा अर्जित ब्याज से पेंशन का भुगतान किया जाना असम्भव हो जायेगा।
3. उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा छोडी गयी अपूर्ण योजनाओ हेतु वित्त समिति/कार्य परिषद द्वारा परिसर निर्माण/विकास हेतु रू0 150 करोड़ रूपये का **Corpus Fund** बनाया गया है। इसी धनराशि से वर्तमान में चल रहे अति आवश्यक निर्माण कार्यों (लगभग 90 करोड़) को भी पूर्ण कराया जाना हैं। अपूर्ण परियोजनाओं का प्रकरण आडिट आपत्ति में है तथा प्रकरण लोक लेखा समिति में भी जा सकता है।
4. वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में व्यय के सापेक्ष आय अधिक होने के कारण लगभग 59 करोड़ रूपया का आयकर देयता का प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं **CIT** के यहां लम्बित है। प्रतिकूल आदेशों की स्थिति में ब्याज सहित देयता में और वृद्धि हो जायेगी। विश्वविद्यालय के पक्ष में निर्णय होने पर भी आयकर की धारा 11(2) के अन्तर्गत यह धनराशि निर्माण कार्यों पर ही व्यय करनी होगी अन्यथा की स्थिति में आयकर विभाग को दण्ड ब्याज सहित धनराशि जमा करना होगा।
5. उपरोक्त तथ्यों को समाहित करते हुए स्थिति यह है कि विश्वविद्यालय के पास कोई भी सरप्लस फण्ड शेष नहीं रहता है। यहां यह भी अवगत कराना है कि वर्ष 2018–19 में आय के साापेक्ष 18.50 करोड़ रूपये अतिरिक्त व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में लगभग 32 करोड़ तथा 2020–21 में लगभग 19 करोड़ व्ययधिक्य सम्भावित है।
6. विश्वविद्यालय में वर्तमान समय में 256 स्वीकृत पदो के अतिरिक्त शासन के आदेश के तहत 115 अधिसंख्य, 56 तदर्थ तथा 37 संविदा कर्मियों को सम्मिलित करते हुए 454 कर्मचारी कार्यरत हैं।

7. आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनने के पश्चात पूर्वांचल विश्वविद्यालय की आय में लगभग 50 प्रतिशत की कमी हो जायेगी। ऐसी परिस्थिति में कर्मचारियों एवं शिक्षकों के वेतन भुगतान, दैनन्दिनी, आकस्मिक, विद्युत, कार्यालय एवं अन्य व्यय आदि को सम्पादित कर पाना असम्भव होगा जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु शासन से अनुदान की तत्काल आवश्यकता होगी। इस प्रकार पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पास कोई सरप्लस फण्ड शेष नहीं रहेगा वरन् शासन से अनुदान की तत्काल आवश्यकता होगी।

निर्णय

उपरोक्त तथ्यों के आलोक्य में मा0 मुख्यमंत्री जी की अपेक्षानुसार समिति द्वारा सर्व सम्मति से रू0 50,00,00,000/– (पचास करोड़) राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ को दिये जाने की संस्तुति के साथ ही विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति से पुनः अवगत कराये जाने की समिति संस्तुति करती है।

अन्त में अध्यक्ष महोदया को धन्यवाद देने के उपरांत बैठक समाप्त की गयी।

(एम0 के0 सिंह) 25/8/20
सचिव/वित्त अधिकारी

25/08/2020
(प्रो0 निर्मला एस0 मौर्य)
अध्यक्ष/कुलपति